उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सलूम्बर जिला–सलूम्बर

वादी श्री हुरजी
वाद किस्म धारा–188 RTA बनाम **प्रतिवादी** श्री नातीया व अन्य
पत्रावली संख्या 43 / 2021

	कार्यवाही विवरण	
08–04–2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र को दौहराते हुए कथन किया कि मौजा झिंझणीखुर्द पटवार हल्का जोधपुरखर्द भू.अ.नि. भबराना पुरानी तहसील सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा कि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 कि खाता संख्या 42 मे वर्णित आराजी नम्बर 155, 396, 397, 432 किता 04 रकबा 1.4900 हैक्टेयर भूमि वादी एवं वादी के दो भाईयों की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त की होकर वादी की खातेदारी है जिस पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक हकुक नहीं है किन्तु वादी को अकेला देखकर प्रतिवादीगण जो एक परिवार के सदस्य होकर संख्या बल में अधिक है एवं जबरन वादी की भूमि को हडपना चाहते है एवं वादी को डरा धमका कर बेदखल करना चाहते है। जिससे प्रतिवादीगण आये दिन वादी उक्त भूमि पर बनी कोट, बॉउण्ड्री, बाड को तोड देते है एवं जबरन पशु डालकर वादी की खडी फसल व चारा को नुकसान कारित करते है। अतः निवेदन है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 एक मे वर्णित वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण, दखलन्दाजी नही करे इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादीगणों को पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र की प्रति के प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 तक बावजुद सूचना के गैर–हाजिर रहने से ओदशिका दिनांक 22–02–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 तक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी ने वादपत्र की पुष्ठि मे श्री हुरजी का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी खाता संख्या 42 संवत् 2075–2078 नकल पेश की। बहस मनन की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादी वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। अतः न्यायालय दावा वादी साबित पाये जाने से डिक्री किया जाना उचित समझता है। –:आदेश:– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा झिंझणीखुर्द पटवार हल्का जोधपुरखर्द भू.अ.नि. भबराना पुरानी तहसील सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा कि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 कि खाता संख्या 42 मे वर्णित आराजी नम्बर 155, 396, 397, 432 किता 04 रकबा 1.4900 हैक्टेयर वादी की कृषि भूमि मे अतिक्रमण एवं दखलंदाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनो एवं एजेन्टो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पाबन्द रहे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम हो। निर्णय आज दिनांक 08–04–2024 को लिखाया जाकर खुलेईजलास सुनाया गया। (पर्वत सिंह चूण्डावत RAS) उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	